शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक-48 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 18-25 नवम्बर 2024 मूल्य पांच रूपये

पूर्व छः सीपीएस की विधायकी पर संशय बरकरार

- हिमाचल सरकार ने दो बार एक्ट पारित करके संविधान संशोधन की काट निकालने का प्रयास किया
- असम के साथ हिमाचल की एस एल पी टैग होने और फैसला आ जाने की जानकारी के बाद हुई यह नियुक्तियां

शिमला/शैल। क्या पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों की विधायकी बच पायेगी? यह सवाल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 50 के तहत अगली कारवाई पर लगाई गयी रोक के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी और तब तक विधायकी सलामत रहेगी। लेकिन क्या होता है यह देखना रोचक होगा। संविधान में 2003 में 91वां संशोधन होने के बाद मंत्रिमण्डलों में मंत्रियों की सीमा तय कर दी गयी थी। जिसके तहत हिमाचल में यह संख्या बारह से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन हिमाचल सरकार ने इस संविधान संशोधन के बाद मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव बनने का अधिनियम पारित करके पांच मुख्य संसदीय सचिव और तीन संसदीय सचिव नियुक्त कर लिये। इन नियुक्तियों को सिटीजन प्रोटेक्शन फॉर्म के संयोजक देशबंधु सूद ने उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। जिस पर 18 अगस्त 2005 को फैसला आया। जिसमें नियुक्तियों को असंवैधानिक ठहराते हुये रद्द कर दिया। हिमाचल सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर कर दी। परन्तु इसका फैसला आने से पहले ही 2006 में मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव नियुक्त करने का फिर से एक्ट पारित कर लिया। इस एक्ट के तहत भी मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव नियुक्त हुये। फिर इस एक्ट को भी प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती मिल गयी। इसी बीच उच्च न्यायालय के पहले फैसले के खिलाफ दायर की गयी एसएलपी असम के मामले के साथ टैग हो गयी। इस पर जुलाई 2017 में फैसला आया और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य विधायिका ऐसा एक्ट पारित करने के लिये सक्षम ही नहीं है। उधर इस आश्य का जो एक्ट दूसरी बार पारित किया गया था और उसको उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी थी उसकी सुनवाई आ गयी। इस पर सरकार ने शपथ पत्र देकर कहा है कि यदि ऐसी नियुक्तियां करने की कोई स्थिति आये तो उच्च न्यायालय से पूर्व अनुमति लेकर ऐसा किया जायेगा। यह सब जयराम सरकार के शुरुआती दिनों में ही हो गया इसलिए इस सरकार में ऐसी नियुक्तियां नहीं हो पायी। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि हिमाचल सरकार ने संविधान के 91वें संशोधन की काट के लिए दो बार मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव नियुक्त करने के लिए एक्ट पारित किये। दूसरी बार पारित किए गये एक्ट को जब उच्च न्यायालय में चुनौती मिल गई तो शपथ पत्र देकर अदालत से पूर्व अनुमति लेने की बात कर दी। इस तरह जब सुक्खू सरकार ने यह नियुक्तियां की तो उसे यह जानकारी थी कि असम के साथ ही हिमाचल की एसएलपी टैग हो गयी थी और उस पर फैसला आ गया था कि राज्य विधायिका ऐसा एक्ट बनाने के लिए सक्षम ही नहीं है। यह भी इस सरकार की जानकारी में था कि जिस एक्ट के तहत वह यह नियुक्तियां करने जा रही है उसे उच्च न्यायालय में चुनौती मिल चुकी है। यह भी संज्ञान में था कि सरकार ने उच्च न्यायालय से पूर्व अनुमति लेने की बात कह रखी है। ऐसे में अब यदि सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में यह आ गया की 91वें संविधान संशोधन को अंगूठा दिखाने के लिये राज्य सरकार बार-बार प्रयास कर रही है। तब स्थिति का कड़ा संज्ञान लेकर इनकी विधायकी पर भी आंच आ सकती है। अब हिमाचल का मामला दूसरे राज्यों के साथ टैग हो गया तो संभव है कि यह मामले संविधान पीठ के पास जायें ताकि इस तरह की स्थिति फिर किसी राज्य में न आये। कई राज्यों ने संविधान संशोधन के बाद ऐसे एक्ट बना रखे हैं। आठ उच्च न्यायालय तो इन्हें निरस्त कर चुके हैं। इसलिये सर्वोच्च न्यायालय पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं।

सुक्खू सरकार भ्रष्टाचार, घोटाला और कुव्यवस्था की प्रतीक बनी: नड्डा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार भ्रष्टाचार, घोटाला और कुव्यवस्था की प्रतीक बन गई है। कांग्रेस सरकार के घोटाले और काले कारनामे इस हद तक निचले स्तर पर पहुंच गये हैं कि हिमाचल प्रदेश की धरोहरों की भी कुर्की की नौबत आ गई है। दिल्ली के मंडी हाउस स्थित हिमाचल प्रदेश के गौरव हिमाचल भवन की कुर्की का आदेश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को देना पड़ा है क्योंकि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड के बकाये का 64 करोड़ रुपये भुगतान नहीं किया। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत आने वाले राज्य के धरोहर 18 होटलों को भी बन्द करने का आदेश हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को देना पड़ा है। ये हिमाचल की कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और उनके घोटालों का ही साइडइफेक्ट है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इससे शर्मनाक वाकया कुछ और नहीं हो सकता।

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड के पैसे हाई कोर्ट में जमा कराने थे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज सैकड़ों करोड़ रुपए तक बढ़ गया। क्या कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी थी? क्या उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था? अगर कांग्रेस सरकार ने 2 साल के

शेष पृष्ठ 8 पर.....

जीवन में जोखिम उठाएं और समृद्धि एवं खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करें: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह में 259 डिग्रियां और 110 मेडल प्रदान किये। राज्यपाल ने 59 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 51 विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल प्रदान किए, जिनमें 73 छात्राएं और 37 विद्याथह शामिल रहे। दीक्षांत समारोह में 162 छात्राओं और 97 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई।

राज्यपाल ने सभी डिग्रीधारको को बधाई दी और कहा कि उन हालात को ध्यान में रखें जिनमें उन्होंने यह डिग्री हासिल की। उन्होंने कहा कि डिग्रीधारकों को अपने भविष्य की योजना के दृष्टिगत एक रेखा खींचनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से एक अलग नजरिए से सोचने की अपील करते हुए कहा कि जोखिम उठाएं और यही कदम उन्हें समृद्धि और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ाएगा।

उन्होंने कहा कि इस 21वीं सदी में ज्ञान विश्व बाजार में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी के रूप में उभर कर सामने आया है। आज उस शख्स के लिए अपार अवसर उपलब्ध हैं जो हमेशा उत्साह और सजगता के साथ अपने ज्ञान, कौशल और बुद्धि का विकास करता है।

मुख्य अतिथि और नीति आयोग के सदस्य प्रो. विनोद कुमार पॉल ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के जीवन में एक बेहद अहम पल होता है जब उनकी मेहनत, दुआओं और समपर्ण का उन्हें ईनाम मिलता है। उन्होंने कहा कि आज सभी डिग्रीधारक राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि अटल टिंकरिंग स्कूल लैब और प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना सरकार के ऐसे प्रयास है जिनका बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों को

लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया को बेहतर हुनर और कौशल देना है। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है।

इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिसने उनके जीवन में बदलाव लाया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया है। धर्माणी ने कहा कि आप केवल मात्र डिग्री प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह उससे कहीं अधिक है और यह आपको समाज की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने समाज पर होने वाले प्रभावों को चिह्नित करने पर बल देते हुए कहा कि हमें विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें कार्योन्मुखी होना होगा। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूर्व छात्रों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ज्ञान साझा करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने डिग्री धारकों से आग्रह किया कि वे जीवन में सीखना और नवाचार करना कभी बंद न करे और अपनी संस्कृति से जुड़े रहे।

उन्होंने कहा कि शिक्षा को केवल मात्र डिग्री हासिल कर, आय का स्त्रोत बनाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर कोई सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता बल्कि युवाओं को अपनी मानसिकता बदलकर, दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति शशि कुमार धीमान ने विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से लगभग 30 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने डिग्रियां प्राप्त की है और 5वें दीक्षांत समारोह में 4801 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जा रही है। उन्होंने पदक विजेताओं और डिग्री धारकों को बधाई भी दी।

राज्यपाल ने उत्तराखंड और झारखंड के नागरिकों को किया सम्मानित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाले उत्तराखंड और झारखंड राज्यों के नागरिकों के लिए

राजभवन में 'मिलन कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम हाल ही में आयोजित इन राज्यों के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल उपस्थित रहे।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार ने राजभवनों में राज्यों के स्थापना दिवस मनाने की परम्परा को शुरू किया है, जो 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का प्रतीक है तथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए और न ही विकास से मुंह मोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि मूल्यों और विकास दोनों को साथ लेकर चलने से ही हम अपनी संस्कृति को बचा सकते है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है, लेकिन यहां के धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाये रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्थल बनना हमारी संस्कृति के लिए उचित नहीं है।

इस अवसर पर झारखंड राज्य से संबंध रखने वाले पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा ने अपने अनुभव साझा किए। अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत ने इस अवसर उत्तराखंड राज्य की समृद्ध संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त किए।

भारतीय जीवन दर्शन में नर सेवा ही नारायण सेवा:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि भारतीय जीवन दर्शन में नर सेवा को ही नारायण सेवा कहा गया है। उन्होंने कहा कि टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक भिक्षु जामयांग ने अपनी टीम के साथ झुग्गी झोपड़ी के बच्चों और उनके परिवारों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके सम्पूर्ण समाज को एक नई प्रेरणा

दी है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि कोई दृढ़ निश्चय कर ले तो वह बड़े से बड़ा काम कर सकता है।

राज्यपाल कांगड़ा जिले के धर्मशाला के सरांह में टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट के 20वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित वार्षिक समारोह में बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हथियार बनाया। शिक्षा भी ऐसी जिससे बच्चों का समग्र विकास हुआ है।

उन्होंने कहा कि भिक्षु जामयांग ने निस्वार्थ भाव से समाज के सबसे दुर्बल वर्ग की सेवा का जो बीड़ा उठाया था अब उसके परिणाम समाज के सामने हैं। कभी धर्मशाला की सड़कों पर कूड़ा बीनने और भीख मांगने वाले बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर आज डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, होटल मैनेजर एवं अन्य व्यवसायों में अपनी जगह बना रहे हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है।

उन्होंने कहा कि बचपन में मैक्लोडगंज में अपनी मां के साथ भीख मांगने वाली बेटी पिंकी अब एमबीबीएस पास करके डॉक्टर बन चुकी है। मैं पिंकी और ऐसे ही अन्य बच्चों को बधाई तथा आशीर्वाद देता हूं। जामयांग ने बच्चों को ऐसी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया जिससे वे बेहतर नागरिक बन सकें।

उन्होंने कहा कि टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट ने नशे के खिलाफ सकारात्मक अभियान भी चलाया है। वह और उनके बच्चे समाज में युवा वर्ग को जागरूक कर रहे हैं कि नशा विनाश का कारण है इसलिए इससे दूर रहें। इसका प्रभाव यह हुआ कि बच्चों ने तो नशे को हाथ नहीं लगाया और उनके जो अभिभावक नशा करते थे उन्होंने भी उसे त्याग दिया।

इस अवसर पर, राज्यपाल ने टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से समाज सेवा के लिए एडवोकेट रणजीत सिंह राणा, विजय लांबा और अनीता शर्मा को सम्मानित भी किया।

प्रो. अजय श्रीवास्तव ने कहा कि टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट शिक्षा के साथ-साथ निशुल्क औषधालय, निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल हेल्थ क्लीनिक इत्यादि सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है।

इस अवसर पर भिक्षु जामयांग ने कहा कि दलाईलामा की प्रेरणा से टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट गरीब तथा निर्धन बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने में कामयाब हुआ है तथा अब वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत भी की गई है।

ऊर्जा संरक्षण में हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि हर व्यक्ति को ऊर्जा संरक्षण की दिशा में सहयोग करना चाहिए क्योंकि ऊर्जा संरक्षण निरंतर विकास का एक बड़ा हिस्सा है।

राज्यपाल ऊर्जा संरक्षण राष्ट्रीय अभियान-2024 के अंतर्गत सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रतियोगिता के विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

राज्यपाल ने कहा कि भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय, ऊर्जा संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाता है जिसके अंतर्गत देशभर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशियेंसी द्वारा वर्ष 2005 से स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के प्रति स्कूली विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि एस.जे.वी.एन. इन प्रतियोगिताओं का दायित्व पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक निभा रहा है और अब तक पिछले 19 वर्षों में 20 लाख से अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया है जिनमें से लगभग 494 बच्चों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया है।

इससे पूर्व, सतलुज जल विद्युत निगम के निदेशक, कार्मिक अजय कुमार शर्मा ने प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 12 जिलों के 4794 स्कूलों के 2 लाख 10 हजार 936 बच्चों ने स्कूली स्तर पर भाग लिया। पिछले वर्ष 2650 स्कूलों के 1 लाख 57 हजार 500 बच्चों ने स्कूली स्तर पर भाग लिया था। इस वर्ष स्कूली स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता स्कूल, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर तीन चरणों में आयोजित की जा रही है। इस वर्ष राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का विषय है-''प्रकृति के उपहारों की रक्षा, सतत परिवर्तन को अपनाएं'' और ''आपके पास ऊर्जा बचाने की शक्ति है।''

इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

उप-महाप्रबंधक अनुराग भारद्वाज ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा, सतलुज जल विद्युत निगम के विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्णायक मंडल के सदस्य, जिनमें प्राथमिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक बी.आर. शर्मा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के दृश्य कला विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. हिम चैटर्जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के तकनीकी विशेषज्ञ, दृश्य कला विभाग पवन कुमार, शिक्षक एवं अभिभावक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मंडी जिला के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ओक ओवर शिमला में मंडी जिला के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ जिला से संबंधित

विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिला के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और राज्य सरकार की सभी विकासात्मक योजनाओं का लाभ जिला के लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नेरचौक में प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगी। इस अस्पताल में जल्द ही एमआरआई मशीन स्थापित की जाएगी, ताकि यहां आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी राजकीय डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कर रही है और मंडी जिला में इन स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड के अलग-अलग मंडल बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विधवाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है तथा सभी नेता अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

बैठक के दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं और उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के बजट में इन्हें शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रही है और मंडी जिला के नेता इन योजनाओं को लोगों के बीच ले जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि सभी नेता मजबूती के साथ राज्य सरकार का पक्ष लोगों के बीच में रखेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में मात्र सिराज विधानसभा क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया गया और अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया।

बैठक में विधायक चंद्रशेखर, पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह एवं प्रकाश चौधरी, एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, पूर्व विधायक सोहन सिंह ठाकुर, कांग्रेस नेता चंपा ठाकुर, लाल सिंह कौशल, नरेश चौहान, पवन ठाकुर, एडवोकेट जीवन ठाकुर, चेत राम ठाकुर और महेश राज उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक

रिज पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी निर्णयों ने भारत को मजबूत आधार प्रदान कर सशक्त बनाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि सुधार और बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की दूरदर्शी नीतियों का प्रमाण हैं जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

इस अवसर पर उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक हरीश जनारथा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, पार्षदगण, उपायक्त अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने वायनाड़ उपचुनाव में जीत पर प्रियंका गांधी को बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को वायनाड़ उप-चुनाव में शानदार जीत के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी रिकॉर्ड जीत उनके चुनावी सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इससे कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने झारखंड विधानसभा चुनाव में सफलता के लिए वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी और कहा कि यह उनकी लग्न और कड़ी मेहनत का परिणाम है।

मीडिया के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में सहयोगात्मक राजनीति के बजाय अवरोधकारी राजनीति करने के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा, भाजपा प्रदेश की जनता के हितों की बात और अपने पांच साल के प्रदर्शन पर चर्चा करने से बचती है। इसके बजाय वे शौचालय कर और समोसे जैसे मामलों पर ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। जनता को यह जानने का हक है कि उनके शासन में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के स्तर में गिरावट क्यों आई।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अपने वादों को पूरा करने और प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोग पांच साल के लिए सरकार चुनते हैं और लोकतंत्र लोगों की आवाज है। हालांकि, भाजपा राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है, जिनमें जगत प्रकाश नड्डा, अनुराग सिंह ठाकुर, जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल और कांग्रेस के पूर्व सदस्यों का एक समूह शामिल है, जो भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिन्हें अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सवाल किया कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर क्यों पहुंचा।

भुभूजोत टनल परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी राज्य सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए

कहा कि विभाग को इस वित्त वर्ष के लिए 2806 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और 30 सितम्बर, 2024 तक 1238 करोड़ रुपये विभिन्न कार्यों पर व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि वह कार्यप्रणाली में नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अभियंताओं की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया गया है और निविदा प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है ताकि विकास कार्यों को और गति प्रदान की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार हो रहा है कि डोडरा-क्वार पक्की सड़क सुविधा से जुड़ने वाला है। इसके लिए डोडरा क्वार सड़क पर टारिंग कार्य को तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दो वर्ष के भीतर जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल को सड़क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि विभाग को आधुनिक बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने राज्य की प्रकृति एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए टनल निर्माण की संभावनाएं तलाशने पर बल दिया। उन्होंने वे साइड एमेनिटी परियोजनाओं के निर्माण को गति प्रदान करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भुभूजोत टनल के निर्माण को संकल्पबद्ध है और अधिकारियों को शीघ्र अप्रोच सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भुभूजोत टनल परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी।

उन्होंने अन्डरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स परियोजना की समीक्षा भी की और कहा कि यह परियोजना शिमला की प्राकृतिक भव्यता में निखार लाएगी और इसके लिए 150 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए छोटा शिमला से चौड़ा मैदान, राजभवन से ओक ओवर और शेर-ए-पंजाब से सीटीओ चौक तक भूमिगत केबल व पाइप बिछाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड, सीआइआरएफ, सुखाश्रय परियोजनाएं, राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग विद्यालय, हेलीपोर्ट्स सहित अन्य विकासात्मक कार्यों की समीक्षा भी की।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग की कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने राज्य लोड डिस्पैच सैंटर को उत्कृष्टता पुरस्कार-2024 के लिए बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सैंटर को सचिवालय फोरम ऑफ लोड डिस्पैचर द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पहली बार यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को उत्तरी ग्रिड को मजबूत करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है। यह पुरस्कार ऊर्जा प्रबंधन और ग्रिड प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि सेंटर भविष्य में भी प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ कार्य करना सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरित ऊर्जा के दोहन पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे उत्तरी ग्रिड को और मजबूत करने और उत्तर भारत के अन्य राज्यों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

विधवाओं को गृह निर्माण के लिए मिलेगी 4 लाख रुपए की सहायता: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत सभी पात्र महिलाओं को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को उनके मकान बनाने के सपने को साकार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को पहल कर रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, विवाह के लिए वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, शिक्षा सहायता, चिकित्सा देखभाल, पेंशन, विकलांगता पेंशन, दाह संस्कार व्यय, आकस्मिक मृत्यु के लिए राहत, छात्रावास सुविधाएं और विधवा पेंशन सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहा है।

उन्होंने कहा कि मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता में गृह निर्माण के लिए तीन लाख रुपए और रसोई, शौचालय तथा स्नानघर जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए एक लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता शामिल होगी। इसका लाभ उठाने के लिए महिलाओं को बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 कार्य दिवस पूरे करने चाहिए और उनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को आवश्यक दस्तावेजों सहित श्रम अधिकारी के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। स्वीकृति मिलने के उपरांत वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

निःशस्त्र अहिंसा की शक्ति किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र शक्ति से सर्वश्रेष्ठ होगी।
..... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

हार के लिये ईवीएम कब तक जिम्मेदार रहेगी

महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी का गठबंधन विधानसभा चुनाव हार गया है। लोकसभा चुनाव में जितनी सफलता इस गठबंधन को मिली थी उसको सामने रखते हुये विधानसभा का परिणाम गठबंधन के लिये एक शर्मनाक हार है। इस हार के लिये एक बार फिर चुनाव आयोग और उसकी ईवीएम मशीनों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा है। जबकि इसी आयोग और इन्हीं मशीनों के चलते झारखण्ड में भाजपा की करारी हार हुई है। हरियाणा में भी हार के लिये ईवीएम मशीनों पर दोष डाला गया था। हरियाणा में इस संबंध में लम्बे चौड़े सबूत जुटाकर चुनाव आयोग से शिकायत की गयी थी। लेकिन चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया वह एक तरह से कांग्रेस पर ही प्रहार था। आयोग के जवाब के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा दिया गया है। ईवीएम मशीनों और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लम्बे समय से सवाल उठते आ रहे हैं। इन सवालों की शुरुआत भी एक समय भाजपा ने ही की थी जब वह विपक्ष में थी। हर चुनाव के बाद ईवीएम मशीनों पर सवाल उठते आये हैं। सवाल भी गंभीर होते हैं। सवालों के साथ प्रमाण भी सौंप जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने इन्हें सही नहीं माना है। हरियाणा और महाराष्ट्र में मशीनों की बैटरी चार्जिंग के आरोप लगे हैं। इन आरोपों को लेकर आम आदमी भी आयोग की कार्यप्रणाली पर सन्देह करने लग गया है। लेकिन चुनाव आयोग और ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने के बावजूद किसी भी दल ने आज तक इस मुद्दे पर चुनाव का बहिष्कार नहीं किया है।

देश में उन्नीस लाख ईवीएम मशीने गायब होने की जानकारी एक आरटीआई के माध्यम से सामने आयी थी। मामला पुलिस और अदालत तक भी पहुंचा। लेकिन संसद में कभी इस पर प्रश्न नहीं आये और न ही यह किसी नियोजित सार्वजनिक बहस का मुद्दा बना। चुनाव परिणामों पर सवाल उठ रहे हैं। मतदान खत्म होते ही जो आंकड़े जारी किये जाते हैं वही आंकड़े मतगणना के समय बदल जाते हैं यह तथ्य भी जनता के सामने आ चुके हैं। बाहर हर देश मत पत्र से चुनाव करवाने लग गया है। हमारे यहां भी पूरी चुनावी प्रक्रिया में लम्बा समय लगता आ रहा है। मत पत्र से चुनाव न करवाने का तर्क दिया जाता है कि परिणाम घोषित करने में चार – पांच दिन की देरी हो जायेगी। जब पूरी प्रक्रिया में लम्बा समय लगाया जा रहा है। कई – कई चरणों में चुनाव करवाये जा रहे हैं तब यदि परिणाम घोषित करने में एक सप्ताह का समय और लग जाता है तो उससे किसी का भी नुकसान होने वाला नहीं है। फिर जब मशीन के साथ वी वी पैट लगा हुआ है और उस पर बाकायदा पर्ची सामने आ जाती है तो उसे गिनने में कितना समय और लग जायेगा। इस समय जिस तरह का विश्वास पूरी चुनाव प्रक्रिया पर उभर रहा है। वह कालान्तर में पूरी व्यवस्था के लिए घातक होगा। ऐसे में राजनेताओं को ईवीएम को संसद से लेकर सड़क तक मुद्दा बनाकर जनता के बीच आना होगा। चुनावों के बहिष्कार करने तक आना होगा। जब इस तरह की स्थिति पूरे देश में एक साथ बनेगी तभी मशीन की जगह मत पत्रों पर बात आयेगी। यदि राजनेता और राजनीतिक दल ऐसा करने के लिये तैयार न हों तो उन्हें हर हार के बाद ईवीएम पर दोष डालने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है।

इसी के साथ राजनीतिक दलों को अपनी विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये अपनी राज्य सरकारों की परफॉरमैन्स पर भी ध्यान देना होगा। अभी हरियाणा के चुनावों में प्रधानमंत्री ने हिमाचल सरकार की परफॉरमैन्स को मुद्दा बनाया। कांग्रेस जवाब नहीं दे पायी क्योंकि तथ्यों पर आधारित था सब कुछ। अब महाराष्ट्र में भी हिमाचल को प्रधानमंत्री ने मुद्दा बनाया। इसका जवाब देने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र गये। फिर मुख्यमंत्री का जवाब देने प्रदेश भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष और दूसरे नेता महाराष्ट्र जा पहुंचे। इस तरह मुख्यमंत्री के दावों पर विश्वास नहीं बन पाया और परिणाम सामने है। हिमाचल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। यदि कांग्रेस ने समय रहते स्थितियों में सुधार नहीं किया तो फिर कुछ भी हाथ नहीं आयेगा।

समावेशी राष्ट्र बनाना है तो पसमांदा मुसलमानों की ताकत को पहचाने भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान

गौतम चौधरी

वर्ण और जाति, पारंपरिक भारतीय समाज की नींव है। सामाजिक संरचना की यदि बात करें तो इसे आप किसी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस व्यवस्था की संरचना एक – दो वर्ष या फिर एक – दो सौ सालों में नहीं हुआ है। इसका लंबा इतिहास है। पक्ष – विपक्ष, हानी – लाभ की बात करें तो कई तर्क इसके पक्ष और कई इसके विपक्ष में मिल जाएंगे लेकिन इस व्यवस्था की अहमियत इतनी है कि भारतीय समाज में आप अपना धर्म और पांथिक चिंतन चाहे जितना बदल लों जाति व वर्ण आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लंबे इतिहास और वर्षो में कई बदलावों के बावजूद, जाति अभी भी हमारी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक – आर्थिक प्रणालियों में व्यापक रूप से स्वीकृत एक संस्था के रूप में काम कर रही है।

भारतीय समाज में जाति को लेकर कई आन्दोलन भी हुए। कहा तो यहां तक जाता है कि भारत की लंबे समय तक गुलामी का कारण भी जाति व्यवस्था रही है। तर्क तो यहां तक दिए जाते हैं कि जाति व्यवस्था की विंगतियों के कारण ही मुस्लिम आक्रांता भारत में अपनी जड़ जमाने में कामयाब हुए। यह कितना सत्य है विश्लेषण का विषय है लेकिन इसके विपक्ष में भी कई तर्क हैं और उनमें से सबसे मजबूत तर्क यह है कि यदि ऐसा ही था तो फिर भारतीय मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था कैसे प्रवेश कर गयी? वैसे मुस्लिम समाज एकरूपता की बात तो करती है लेकिन जाति व्यवस्था वहां भी किसी न किसी रूप में है। यदि भारतीय मुस्लिम समाज की बात करें तो यह व्यवस्था हिन्दुओं की तुलना में थोड़ी कमजोर जरूर है लेकिन वहां भी है। भारत का मुस्लिम समुदाय एकरूपता से कोसों दूर है। इसके भीतर पसमांदा के नाम से जाना जाने वाला एक महत्वपूर्ण वर्ग मौजूद है, जो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का बुरी तरह सामना कर रहा है। यह ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार हिन्दुओं की पिछड़ी जातियां कर रही है। वर्तमान समय में हिन्दुओं की कुछ पिछड़ी जातियां तो बेहद कमजबूत होकर उभरी है अब अगड़ी कही जाने वाली जातियों को हर मोर्चो पर चुनौती दे रही है लेकिन मुस्लिम समाज में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। पसमांदा मुद्दे और आज के भारत में इसकी प्रासंगिकता को समझना वास्तविक सामाजिक – धार्मिक समानता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में मुसलमान एक हजार वर्षो से अधिक समय से उपमहाद्वीप के इतिहास का हिस्सा रहे हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अधिकांश मुसलमान पहले से मौजूद समुदायों से धर्मांतरित हुए हैं। शेष मुस्लिम समूह, जिनकी उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है, सदियों पहले यहां पहुंचे और अब उपमहाद्वीप के समाज में समाहित हो गए हैं। यद्यपि इस्लाम में परिवर्तित होने से व्यक्ति को एक नए धार्मिक समुदाय और विश्वास प्रणाली तक पहुंच मिली है, लेकिन यह किसी की जाति को बदलने में असमर्थ है। रूपांतरण किसी व्यक्ति के व्यवसाय, उनकी संपत्ति या उसकी कमी, उनके पड़ोसियों की उनके बारे में धारणा या उनके सामाजिक पदानुक्रम को नहीं बदल सकता है। जो लोग इस्लाम में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें एक नया धार्मिक ग्रंथ प्राप्त होता है और वे उस ईश्वर में बदलाव देखते हैं जिसकी वे पहले पूजा करते थे। लोगों को इसमें नैतिक आराम मिल सकता है। हालांकि, जिस तरह आपका धर्म या धार्मिक ग्रंथ बदलने से आपकी त्वचा का रंग नहीं बदलेगा, उसी तरह यह किसी व्यक्ति के जाति – आधारित व्यवसाय, कौशल, विरासत, सामाजिक अंतरताना या स्वास्थ्य को भी नहीं बदल सकता है।

पसमांदा के खिलाफ सबसे घातक रणनीति में से एक पसमांदा संघर्ष का सांप्रदायिकरण है। सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर, पसमांदा मुसलमानों द्वारा सामना किए जाने वाले जाति – आधारित भेदभाव और सामाजिक – आर्थिक अभाव के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटा दिया जाता है। यह न केवल हाशिये पर पड़े समुदाय की वास्तविक चुनौती और समस्याओं को कमज़ोर करता है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के भीतर भी विभाजन को बढ़ावा देता है। सच्चर समिति रिपोर्ट (2006) और रंगनाथ मिश्रा आयोग रिपोर्ट (2007) सहित अध्ययनों और रिपोर्टों ने पसमांदा मुसलमानों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक – आर्थिक असमानताओं पर प्रकाश डाला है। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि पसमांदा समुदाय उच्च जाति के मुसलमानों (अशरफ) और हिंदुओं के बीच दलित और ओबीसी जैसे अन्य हाशिये पर रहने वाले समुदायों की तुलना में बेहद पिछड़ी हुई है। शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं तक इनकी पहुंच अशरफों की अपेक्षा कम है। इन निष्कर्षो के बावजूद, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली लक्षित नीतियों का अभाव रहा है।

बहुसंख्यक होने के बावजूद, पसमांदाओं को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव रहा है। एक मजबूत आवाज की अनुपस्थिति ने उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने और संसाधनों में उनका उचित हिस्सा सुरक्षित करने के प्रयासों में और बाधा उत्पन्न की है। इसके अतिरिक्त, पसमांदा अक्सर व्यापक मुस्लिम पहचान में समाहित हो जाती है, जिससे उनके विशिष्ट अनुभव और आकांक्षाएं अस्पष्ट हो जाती हैं। पसमांदाओं को हाशिए पर धकेलने का भारत के सामाजिक ताने – बाने और लोकतांत्रिक आदर्शो पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारत में वास्तविक सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए उनका उत्थान आवश्यक है। मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग गरीबी में फंसा हुआ है, जिससे देश की समग्र प्रगति में बाधा आ रही है।

एक अध्ययय में बताया गया है किं सामाजिक – आर्थिक अभाव और कट्टरपंथ एक – दूसरे का पूरक है। पसमांदाओं को सशक्त बनाने से शिकायतों का फायदा उठाने वाले चरमपंथी आख्यानों का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। अधिक समावेशी मुस्लिम समुदाय भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान को मजबूत करता है। जब एक महत्वपूर्ण वर्ग अपने धर्म के भीतर अपनी जाति पृष्ठभूमि के आधार पर हाशिए पर महसूस करता है, तो यह सभी के लिए समान व्यवहार के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को कमजोर करता है।

पसमांदा मुद्दा सिर्फ एक विशिष्ट समुदाय के उत्थान के बारे में नहीं है, यह भारत के विविध समाज की वास्तविक क्षमता को साकार करने के बारे में है। इस हाशिए पर मौजूद वर्ग को सशक्त बनाकर, भारत एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आगे बढ़ने के लिए सरकार, नागरिक समाज संगठनों और स्वयं मुस्लिम समुदाय के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। पसमांदा मुद्दे को पहचानना और इसके समाधान की दिशा में काम करना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में उठाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

हमारा संविधान, हमारा सम्मान

लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बचाकर रखना

परिचय

भारतीय संविधान 26 नवम्बर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। भारत का संविधान भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समतावादी ढांचे को परिभाषित करने वाला आधारभूत दस्तावेज है। पिछले सात दशकों में, इसने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित किया है – जो भारत के शासन के मूल सिद्धांत हैं। इन मूल्यों को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत की संवैधानिक भावना का जश्न

संविधान दिवस हर साल 26 नवम्बर को भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवम्बर 2015 को घोषणा की कि भारत सरकार हर वर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाएगी। इसका पालन राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाले लोकतांत्रिक सिद्धांतों की याद दिलाता है। संवैधानिक आदर्शों के बारे में जागरूकता पैदा करने के इस प्रयास के तहत, हमारा संविधान, हमारा सम्मान अभियान शुरू किया गया है।

'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' अभियान

इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, 24 जनवरी, 2024 को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में डॉ. बी. आर. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में शुरू किए गए 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' अभियान का उद्देश्य संविधान के बारे में नागरिकों की समझ को गहरा करना है। साल भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य भारतीय समाज को आकार देने में संविधान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संविधान के मूलभूत सिद्धांत हर भारतीय के साथ जुड़े रहें। अभियान निम्नलिखित लक्ष्यों को बढ़ावा देता है:

संविधान जागरूकता का निर्माण: 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' संविधान के मूल सिद्धांतों को आम जनता के लिए सरल बनाने और लोकप्रिय बनाने पर केन्द्रित है। यह नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को समझने में मदद करता है जिन्हें संविधान बढ़ावा देता है। क्षेत्रीय कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से, अभियान यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पृष्ठभूमि के लोगों तक इस आवश्यक ज्ञान की पहुंच हो।

कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना: यह अभियान लोगों को भारतीय संविधान के तहत उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए बनाया गया है। यह व्यक्तियों को उनके अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बनाता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि वे राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। इस पहल के हिस्से के रूप में, नागरिकों को संविधान द्वारा गारंटी त मौलिक अधिकारों सहित उनके अधिकारों पर चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे कि समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।

उप – अभियान और विषयगत पहल: मुख्य अभियान के अतिरिक्त, संवैधानिक ज्ञान और लोकतांत्रिक भागीदारी के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तीन प्रमुख उप-विषय शुरू किए गए।

सबको न्याय, हर घर न्याय: यह उप-अभियान यह सुनिश्चित करने पर केन्द्रित है कि न्याय हर नागरिक के लिए सुलभ हो। यह नागरिकों के लिए न्याय पाने के लिए मौजूद कानूनी तंत्रों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है, चाहे वह अदालतों में हो, कानूनी सहायता सेवाओं के माध्यम से हो, या पूरे भारत में कानूनी संस्थानों की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से सुधारों के माध्यम से हो।

नव भारत, नव संकल्प

यह पहल नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में खुद को सक्रिय भागीदार के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों का सम्मान और संरक्षण करके प्रगतिशील और समावेशी राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए 'नया संकल्प' पैदा करना है।

विधि जागृति अभियान

विधि जागृति अभियान का उद्देश्य लोगों को, खास तौर पर ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों में, उनके कानूनी अधिकारों और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों के बारे में शिक्षित करना है। यह अभियान नागरिकों को कानून के तहत मिलने वाले विभिन्न अधिकारों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है, जिसमें सामाजिक कल्याण लाभ, सकारात्मक कार्रवाई नीतियां और उपेक्षित समुदायों के लिए कानूनी सुरक्षा शामिल है।

क्षेत्रीय कार्यक्रम और आगे निकलने के अवसर

साल भर चलने वाले 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' अभियान की शुरुआत बीकानेर में अपने पहले क्षेत्रीय कार्यक्रम के साथ हुई, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया। तब से बीकानेर, प्रयागराज और अब गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य विविध समुदायों को शामिल करना और पूरे भारत, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में, संविधान की समझ को बढ़ावा देना है।

डिजिटल सहभागिता और नागरिक भागीदारी

'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' अभियान का एक प्रमुख तत्व इसका डिजिटल जुड़ाव घटक है। नागरिकों को अभियान के समर्पित पोर्टल के माध्यम से सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो शिक्षा, प्रबंधन और कार्य के लिए एक ऑनलाइन मंच के रूप में कार्य करता है। इस पोर्टल के माध्यम से, नागरिक संविधान के बारे में अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए वीडियो, लेख, इन्फोग्राफिक्स और क्विज़ जैसे संसाधनों तक पहुंच सकते हैं। यह नागरिकों को भारत के भविष्य को आकार देने में संविधान की भूमिका के बारे में प्रतिज्ञा लेने और ऑनलाइन चर्चाओं में भाग लेने की भी अनुमति देता है।

अभियान की 2047 के भारत की कल्पना को आकार देने में भूमिका

गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के अवसर पर, 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' अभियान 2047 तक विकसित भारत की कल्पना का समर्थन करता है। यह नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान करने और देश के भविष्य को आकार देने वाली कानूनी और राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। संवैधानिक जागरूकता और इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देकर, अभियान का उद्देश्य नागरिकों को संविधान की रक्षा करने और एक समावेशी, लोकतांत्रिक और समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है।

गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करने में सरकार की भूमिका

दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना) योजना :दिशा के तहत टेली लॉ कार्यक्रम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर वीडियो या टेलीफोन पर परामर्श के माध्यम से मुकद्दमेबाजी से पहले के चरण में निःशुल्क कानूनी सलाह के लिए उपेक्षित व्यक्तियों को पैनल वकीलों से जोड़ता है। 2017 में शुरू किया गया यह टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सुलभ है। पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, नागरिकों और सेवा के बीच की खाई को पाटते हैं, जबकि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) पंजीकरण में सहायता करते हैं। राज्य समन्वयक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं।

न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज):

न्याय बंधु भारत सरकार की एक पहल है जो मोबाइल तकनीक के माध्यम से उपेक्षित लाभार्थियों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने के इच्छुक अधिवक्ताओं से जोड़ती है। न्याय विभाग का लक्ष्य प्रत्येक उच्च न्यायालय में प्रो-बोनो पैनल स्थापित करके इस नेटवर्क को मजबूत करना है, जिसे संबंधित न्यायालयों द्वारा क्यूरेट और प्रबंधित किया जाएगा। इससे अधिकतम प्रभाव के लिए न्यायिक प्रणाली में कार्यक्रम का प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित होगा।

निष्कर्ष

हमारा संविधान, हमारा सम्मान संविधान में निहित न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाये रखने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अभियान न केवल कानूनी जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि गांव से लेकर शहरी केन्द्रों तक हर नागरिक को उनके अधिकारों की रक्षा करने के साधनों के साथ सशक्त भी बना रहा है।

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हिमाचल पैविलियन की धूम

शिमला। नई दिल्ली में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हिमाचल पैविलियन खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करीब होने की बजह से सर्दियों में हिमाचल जाने वाले पर्यटकों के लिए हिमाचल पैविलियन पर्यटक स्थलों की सही जानकारी का स्त्रोत

उभर कर सामने आ रहा है। दिल्ली में सर्दियों के दस्तक देने के साथ ही ऊनी कपड़ों, स्वेटरों और जुराबों की खरीददारी के लिए भी लोग हिमाचल पैविलियन की ओर रुख कर रहे हैं। सेहत के लिए संजीदा लोगों को हिमाचल पैविलियन काफी भा रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के आर्गेनिक उत्पादों ने एक बिशिस्ट ब्रांड के रूप में पहचान बनाई है और अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिये मशहूर हिमाचली उत्पाद धनाढ्य वर्ग की पहली पसन्द मानी जाती है।

हिमाचल पैविलियन के निदेशक ज्ञान सिंह चौहान ने बताया की इस बार 220 वर्ग मीटर में स्थापित हिमाचल पैविलियन में शिमला, काँगड़ा, सोलन, मण्डी, कुल्लू आदि जिलों से 16 स्टाल स्थापित किये गए हैं।

सोलन जिला के परवाणू के उद्यमी हिमाचल फ्रूट्स द्वारा जूस, जैम, चटनी और आचार महिलाओं में खासा क्रेज़ बना रहा है। कंपनी ने कीवी, अखरोट, आड़ू और प्लम के उत्पाद ट्रेड फेयर में उतारे हैं जोकि खासी लोकप्रियता बटोर रहे हैं।

मण्डी की गुलाब शाल इंडस्ट्री द्वारा लेडीज और जेंट्स के लिये शाल, जैकेट, कैप प्रदर्शित किये गए हैं जोकि अपनी गुणवत्ता के लिए पहचाने जाते हैं।

मनाली के मनु वीवर्स द्वारा अंगोरा और याक के उत्पाद प्रदर्शित किये गए हैं जोकि उच्च वर्ग के खरीददारी की जरूरतों को पूरा करते हैं और महंगा होने के बाबजूद अच्छी भीड़ आकर्षित कर रही हैं। मनु वीवर्स के पास 500 रूपये से लेकर 15000 रूपये तक के उत्पाद उपलब्ध हैं जिससे यह ज्यादा वैरायटी प्रदर्शित कर रहे हैं।

कुल्लू के कौशल्या वूलेन के पश्मीना जुराबों और पश्मीना शाल को काफी सराहा जा रहा है। इन्होने अंगोरा शाल और अंगोरा वूल की कैप्स भी बाजार में उतारी हैं जोकि अच्छी सराही जा रही है।

जय महासू देवता जुब्बल द्वारा पहाड़ी राजमाह, माश, कुल्थ, लिंगड़ीय आचार बाजार में उतारा है जोकि दिल्ली में बसे हिमाचलियों की खरीददारी की पहली पसंद माना जाता हैं। इनके पहाड़ी गाय के घी की खुसबू पुरे मेले में अपनी महक बिखेर रही है। महंगा होने के बावजूद गाय के घी को सेहत के लिए संजीदा ग्राहक काफी संख्या में खरीद रहे हैं क्योंकि इसे दवाई की तरह प्रयोग करते हैं।

हिमाचल पैविलियन में बिकने बाले मक्की के आटे को भी दिल्ली में बसे हिमाचल और उत्तराखण्ड के खरीददार काफी सराह रहे हैं और सर्दियों के लिए स्टॉक कर रहे हैं। इसके इलाबा हैंडलूम एवं हेंडीक्राफ्ट उत्पाद, फ्रूट उत्पाद के अलावा कांगड़ा, चाय, एप्पल चिप्स, ड्राई गुच्छी, सिबक्थोर्न एवं किडनी राजमाह पर आगंतुकों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। इन उत्पादों को लेकर मंडप में पधारने वाले लोगों में बहुत दिलचस्पी देखी जा रही है। इसके अलावा हिम-ईरा स्वयं सहायता समूह द्वारा हिमाचल प्रदेश की जड़ी बूटियों से तैयार साबुन, तेल, हर्बल उत्पादों व विशेषकर शुद्ध पहाड़ी घी का प्रदर्शन किया जा रहा है।

हिमाचल पैविलियन के निदेशक ज्ञान सिंह चौहान ने बताया की इस बार अब तक लगभग बीस हज़ार दर्शक हिमाचल पैविलियन का दौरा कर चुके हैं और अंतिम दिनों में ज्यादा दर्शकों की सम्भावना हैं। उनका कहना की पैविलियन को हिमाचल प्रदेश की ब्राण्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक सर्दियों के सीजन में हिमाचल का भ्रमण करें और बड़े औद्योगिक घराने हिमाचल प्रदेश में निवेश करें।

कॉलेजों की रैंकिंग करेगी राज्य सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली में पूर्व छात्र एसोसिएशन के एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कॉलेज में आर्ट्स ब्लॉक गर्ल्स हॉस्टल और पार्किंग दो वर्ष में तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही मैं इसका शिलान्यास करने के लिए आऊंगा। उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन करने वाली पूर्व छात्र एसोसिएशन को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की।

सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने वाले हैं और पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कॉलेजों की रैंकिंग करने पर विचार कर रही हैं। प्रदेश में लगभग 138 कालेज हैं और उनकी रैंकिंग का फार्मूला तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा हम कॉलेजों और सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं को सुदृढ़ करना चाहते हैं। राज्य सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने पर बल दे रही है और इस कार्य के लिए धन की कोई कमी नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विधवाओं के 23 हजार बच्चों को 27 वर्ष तक शिक्षा का खर्च उठाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। उन्होने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए डॉ. वाई. एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है, ताकि कोई भी विद्यार्थी धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। इस योजना के तहत पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण एक प्रतिशत

की ब्याज दर पर दिया जा रहा है और विदेश में पढ़ाई के लिए भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

पुराने दिनों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा इस कॉलेज में बिताया हुआ समय हमेशा याद रहेगा। मेरे मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने मेरे खिलाफ कॉलेज में चुनाव लड़ा था, लेकिन जीता मैं ही था। सभी छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया करते थे, लेकिन सबकी सोच संस्थान को मजबूत करने की थी। उन्होंने कहा कि संजौली कॉलेज के विद्यार्थी मेरिट में आते थे और पीएमटी की परीक्षा में भी बहुत से छात्र इसी कॉलेज से पास हुआ करते थे। इस महाविद्यालय का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम है। उन्होंने विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करने और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नशे से दूर रहना चाहिए और राज्य सरकार नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कारवाई कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, बिजली, पानी और अन्य विभिन्न सुविधाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायधीश संदीप शर्मा ने कहा कि इस संस्थान का उनके करियर को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके लिए वह संस्थान के हमेशा ऋणी रहेंगे। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान का विद्यार्थी रहा हूं, जहां से निकले विद्यार्थी आज हर क्षेत्र में आगे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह मेहनती व्यक्ति हैं और कठोर परिश्रम के बाद एक आम परिवार से निकलकर आज मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। उन्होंने छात्रों से कड़ी मेहनत करने और नशे से दूर रहने की अपील की।

लाहौल-स्पीति के रारिक गांव को मिली 4जी कनेक्टिविटी सुविधा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि लाहौल-स्पीति जिले के सुदूरवर्ती गांव रारिक को हाई-स्पीड 4जी ब्रॉडबैंड सेवा सुविधा प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि बीएसएनएल के सहयोग से संभव हुई है, जिससे इस ठंडे और दूरदराज क्षेत्र के निवासियों की आधुनिक दूरसंचार बुनियादी ढांचे तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। इस क्षेत्र में तापमान अक्सर शून्य डिग्री से नीचे चला जाता है और आधुनिक दूरसंचार अवसंरचना तक पहुंच सीमित रहती है। उन्होंने कहा कि रारिक में नव-स्थापित 4जी साइट को उपग्रह संचार प्रणाली (वीएसएटी) तकनीक का उपयोग करके स्थापित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश 4जी संतृप्ति परियोजना के तहत भूमि हस्तांतरण के लिए 100 प्रतिशत अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के संबंधित विभागों से सभी आवश्यक स्वीकृतियां समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्रदान की गई, जिससे प्रदेश भर के दूरदराज गांवों में 4जी टावरों की स्थापना संभव हो पाई है, जहां अब तक कवरेज नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब तक 366 वन स्थलों और 46 सरकारी स्थलों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, जो कुल 658 स्थानों को कवर करती हैं। अब तक 294 टावर कार्यशील हो चुके हैं, जबकि 37 अतिरिक्त टावरों पर कार्य प्रगति पर है।

सी पी एस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का मुख्यमंत्री ने किया स्वागत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त विधायकों के विरूद्ध अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की कानूनी व्याख्या पर स्पष्टता प्रदान की है, जो उच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 50 से भिन्न है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत महत्वपूर्ण है और प्रदेश सरकार सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद अगली रणनीति पर विचार-विमर्श करेगी।

टांडा और नाहन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों की रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी

राम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल वर्चुअल माध्यम से डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल टांडा तथा डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नाहन की रोगी कल्याण समिति के शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के दूर-दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों सहित अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है ताकि लोगों को उनके घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक उपकरणों की सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल, धार्मिक स्थलों की तरह स्वच्छ व साफ-सुथरे होने चाहिए ताकि उपचार के लिए आने वाले मरीजों एवं तीमारदारों को अच्छा वातावरण उपलब्ध हो सके।

उन्होंने कहा कि जिस तरह केरल राज्य में लोगों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है उसी दृष्टिकोण से प्रदेश में भी लोगों को सामुदायिक सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में आरकेएस के तहत कार्यरत कर्मचारियों के नियमितिकरण एवं न्यूनतम वेतन के संबंध में नीति बनाने के लिए निरंतर मांग की जा रही है इस दिशा में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

टांडा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बैठक की अध्यक्षता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों में विभिन्न सेवाओं से संबंधित ऐसे सभी टेंडर, जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है या पूरी होने वाली है को नए तरीके से एचपीएसईडीसी के माध्यम से पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं विधायक नगरोट बगवां आर.एस. बाली ने डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरंतर सुदृढ़ीकरण हो रहा है।

उन्होंने कहा कि टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में मरीजों की सुविधा के लिए वह ई-रिक्शा भेंट करेंगे।

डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस संस्थान के लिए रोगी कल्याण समिति के माध्यम से एक अतिरिक्त अल्ट्रासाउंड मशीन की खरीद और यहां रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति भी शीघ्र की जाएगी।

उन्होंने अस्पताल में बर्न एड उपकरण उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत प्रबन्धन को इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर सरकार को प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय में एमआरआई मशीन लगाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध करवाया जाए।

नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने नाहन चिकित्सा महाविद्यालय रोगी कल्याण समिति बैठक की अध्यक्षता के लिए स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। स्थानीय विधायक की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री ने जिला में विभिन्न अस्पतालों में रिक्त चल रहे रेडियोग्राफर के रिक्त पदों की सूची प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि उन स्थानों पर नियुक्तियां की जा सकें।

बैठक में दोनों चिकित्सा महाविद्यालय के रोगी कल्याण समिति से जुड़े विभिन्न मदों पर चर्चा की गई।

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि पोर्टल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

शिमला/शैल। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी)-हिमाचल प्रदेश के सहयोग से हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) द्वारा विकसित राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि पोर्टल पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। हाई ब्रिड मोड पर जिला सचिवालय एवं जिलों के एनआईसी कार्यालयों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य का विभिन्न हितधारक विभागों को नवविकसित पोर्टल की कार्यक्षमता और विशेषताओं से अवगत करवाना था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त सचिव शिक्षा और

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के परियोजना निदेशक निशांत ठाकुर ने कहा कि पोर्टल का उद्देश्य आपदा का बेहतर प्रबंधन और आपदा न्यूनीकरण प्रयासों में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना है। इस पोर्टल के माध्यम से केवल एक क्लिक से प्राकृतिक आपदाओं जैसे भू-स्खलन, बाढ़, हिमस्खलन इत्यादि की विशिष्ट रिपोर्ट तक पहुंच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि अब से सभी पीपीआर और डीपीआर पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और किसी प्रकार की हार्ड कॉपी स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन एजेंसियां अब केवल एक क्लिक से अपने प्रस्तावों की स्थिति की निगरानी कर सकती हैं और समिति के निर्णयों को जान सकती है।

उन्होंने कहा कि हितधारकों को पूर्व में स्वीकृत सभी परियोजना प्रस्तावों को डिजिटल प्रक्रिया के साथ संरेखित करते हुए 30 दिसंबर 2024 तक पोर्टल पर फिर से जमा करवाना सुनिश्चित करना होगा।

बैठक के दौरान एनआईसी-एचपी की ओर से वैज्ञानिक संजय ठाकुर, वैज्ञानिक विनोद कुमार और कुणाल ने बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।

पोर्टल सभी हितधारकों को सैटलाइट आधारित परियोजनाओं का चयन, आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के दोहराव को रोकना, आवश्यकता के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना और आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं में फंड में समुचित उपयोग करने में सहायता करेगा।

कार्यशाला में लोक निर्माण, जल शक्ति, पर्यटन, शिक्षा, कृषि एवं अन्य विभागों तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 535 अधिकारियों ने भाग लिया।

सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने पर विचार कर रही प्रदेश सरकार:मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ के सौजन्य से कनैड के समीप तरोट गांव में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सहकारिता का जनक रहा है और यहां से की गई पहल के बाद ही यह देशभर में एक आंदोलन के रूप में उभरा। वर्तमान प्रदेश सरकार सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करने और इसमें महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत अनेक ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है और इस बारे में वे विभाग के माध्यम से मामला प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सहकारी सभाएं जिनके निदेशक मंडल में सभी सदस्य हिमाचली हों, उन्हें कार्य करने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने का मामला भी प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र का कम्प्यूटरीकरण कर इसमें बदलाव लाया जा रहा है। प्रदेश में सभी प्राथमिक सहकारी सभाएं कंप्यूटरीकृत होंगी, जिससे इनके कार्यों में और तेजी तथा पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटरीकरण के इस कार्य पर लगभग

80 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इसमें से 40 करोड़ रुपए की राशि कम्प्यूटर इत्यादि की स्थापना पर व्यय होगी। उन्होंने कहा कि आज हर चौथा व्यक्ति सहकारिता से जुड़ा हुआ है और ऐसे में सहकारी सभाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करें, ताकि लोगों का भरोसा इन पर बना रहे। उन्होंने अनैतिक कार्यों में संलग्न लोगों पर कठोर कारवाई करने के भी निर्देश विभाग को दिए।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंकों के पूंजी निवेश लगभग 55 हजार करोड़ रुपए है। यह लोगों का इन सहकारी बैंकों पर भरोसे का भी प्रतीक है। प्रदेश के सर्वोच्च राज्य सहकारी बैंक ही लगभग 26 हजार करोड़ रुपए का है। इसके अतिरिक्त कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक तथा जोगेंद्रा बैंक सहित अन्य छोटे बैंक भी बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सहकारी सभाओं के ;ण धारकों का आहवान किया कि वे धारणा बदलें और अपनी किश्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि सहकारिता क्षेत्र को और सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बैंकिंग प्रणाली में बाहरी दखल न्यूनतम हो। उन्होंने जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि विभाग से संबंधित बैंक खाते सहकारी बैंकों के माध्यम से भी खोले जाएं। उन्होंने बैंकों का आहवान किया कि वे सहकारी सभाओं को धन उपलब्ध करवाने में और अधिक उदारता के साथ विचार करें। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से सस्ता राशन लोगों तक पहुंचाने में सहकारी सभाओं की उल्लेखनीय भूमिका रहती है। उन्होंने खाद्य वितरण प्रणाली के सरलीकरण पर बल दिया ताकि लोगों को छिटपुट तकनीकी खामियों के कारण असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में सहकारिता के क्षेत्र में तैयार उत्पादों की मांग वैश्विक स्तर पर है। यहां की टोपी में हिमाचलियत नज़र आती है, वहीं शॉल सहित अन्य उत्पाद भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा कि बुनकर क्षेत्र में भुट्टिको, शिक्षा के क्षेत्र में हिमकैप्स कॉलेज, परिवहन के क्षेत्र में बरमाणा ट्रक यूनियन तथा दुग्ध उत्पादन में कामधेनु जैसी संस्थाएं बेहतर कार्य कर रही हैं।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्षी दलों ने हिमाचल के हितों के साथ सदैव खिलवाड़ किया है और जब जनता ने उनके नेतृत्व को नकार दिया तो वे हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने के लिए दिन-रात एक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार दिल्ली स्थित हिमाचल भवन सहित प्रदेश की संपदा की रक्षा के लिए दृढ़-संकल्प है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को पेंशन व वेतन समय पर प्रदान किया गया है और विपक्षी दल कर्मचारियों को भड़काना बंद करें। निगम कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लगभग 9 करोड़ रुपए के बिल क्लीयर किए गए हैं जबकि चालक-परिचालकों को ओवरटाईम के भुगतान पर आगामी मार्च माह तक लगभग 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम हर रोज लगभग पांच लाख लोगों को दूरदराज क्षेत्रों तक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवा रहा है और इसके आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पानी के बिलों पर विपक्ष के दुष्प्रचार पर उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 100 रुपए की निश्चित राशि इसके लिए निर्धारित की गई है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि इन उपभोक्ताओं से पिछली बकाया राशि की कोई वसूली नहीं की जाये। साथ ही पानी के बिल पर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे उपदान का उल्लेख बिलों में करना सुनिश्चित करें।

मुकेश अग्निहोत्री ने प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव की जीत पर सहकारिता जगत की ओर से बधाई भी दी। उन्होंने कर्मचारी यूनियन, हिमकोफैड तथा सहकारी सभाओं से संबंधित अन्य मांगों पर पंजीयक सहकारी सभाएं के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण योजना के तहत सहकारी सभाओं से जुड़ी 61 महिलाओं को राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से कोलेटरल फ्री ऋण भी वितरित किए। इसके अतिरिक्त छः प्रशिक्षुओं को डिप्लोमा कोर्स में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली स्कूली छात्राओं को अपनी ओर से 21 हजार रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की।

इससे पूर्व उन्होंने सहकार सप्ताह के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया और सहकारी सभाओं की ओर से लगाए गए स्टालों का अवलोकन भी किया।

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन देवेंद्र श्याम ने बैंक की गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बैंक की 22 नई शाखाएं खोली हैं। सरकार की सशक्त महिला ऋण योजना की सराहना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रिक्स देशों ने भी की है और इसे अपने नीति दस्तावेज में शामिल करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि बैंक में आज लगभग 15,700 करोड़ रुपए की जमा पूंजी तथा लगभग 11 हज़ार करोड़ रुपए का पोर्ट फोलियो है। बैंक का ग्रास एनपीए 3.80 प्रतिशत जबकि नेट एनपीए एक प्रतिशत तक लाने में सफलता प्राप्त की है।

हिमकोफैड संचालन मंडल के सदस्य एवं कार्यक्रम के आयोजक केशव नायक ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और सहकारी सभाओं से जुड़ी मांगें प्रस्तुत कीं।

पंजीयक सहकारी सभाएं डॉ. आर. के. पृथी ने सहकारी विभाग की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि सहकारी सभाएं एक सफल बिजनेस इकाइयों के रूप में उभरें। सहकारी सभाएं कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने भी समारोह को संबोधित किया।

एचपीएमसी के निदेशक मंडल की 216वीं और 49वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित

206 सेब संग्रह केंद्रों में खरीदा गया एमआईएस सेब ऑनलाइन एमआईएस पोर्टल के माध्यम से खरीदा 25 हजार मीट्रिक टन सेब

शिमला/शैल। राजस्व एवं बागवानी मंत्री और एचपीएमसी के अध्यक्ष जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एचपीएमसी के निदेशक मंडल की 216वीं और 49वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित हुई। बैठक में बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, निदेशक मंडल रिपोर्ट आदि के अनुमोदन के साथ-साथ एचपीएमसी की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के बागवानों और किसानों के हित में हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) की सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान

देने पर बल दिया गया।

बागवानी मंत्री ने बताया कि एचपीएमसी ने प्रदेश के अपने 206 सेब संग्रह केंद्रों में एमआईएस सेब खरीद कार्य को कुशलतापूर्वक पूर्ण किया है। इस वर्ष एचपीएमसी द्वारा ऑनलाइन एमआईएस पोर्टल के माध्यम से लगभग 25,000 मीट्रिक टन सेब खरीदा गया। इसमें से अधिकांश को संसाधित करके लगभग 2000 मीट्रिक टन (20 लाख लीटर) सेब का जूस तैयार किया है।

उन्होंने बताया कि एमआईएस सेब की नीलामी न करवाकर एचपीएमसी ने न केवल यह सुनिश्चित किया कि ग्रेड-सी सेब खुले बाजार में न आये, बल्कि परवाणू में एमआईएस सेब की नीलामी के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को भी रोका है।

जगत सिंह नेगी ने बताया कि एचपीएमसी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में एमआईएस खरीद संचालन करने वाली एकमात्र एजेंसी होगी।

बैठक में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पीपीपी मॉडल पर एचपीएमसी की संपत्तियों को विकसित करने का भी निर्णय लिया गया। कोलकाता में एचपीएमसी भूमि का विकास उन्नत चरण में है और कृषि-बागवानी पर्यटन की संभावनाओं के लिए एचपीएमसी की राजगढ़ और पतलीकूहल संपत्तियों के उपयोग की संभावनाएं तलाश करने का निर्णय लिया गया।

सचिव बागवानी सी पालरासू ने बताया कि प्रदेश में सात सीए स्टोर और 10 ग्रेडिंग पैकिंग लाइनों के पूर्ण उपयोग के लिए रणनीति बनाने और योजना तैयार करने का भी प्रस्ताव किया गया है। बोर्ड ने एचपीएमसी और मेसर्स जियोट्रॉपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच जिला किन्नौर के टापरी में 500 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ भू-तापीय ऊर्जा आधारित कोल्ड स्टोर की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मंजूरी दी।

उन्होंने बताया कि एचपीएमसी द्वारा जल्द ही जिला शिमला के पराला में अपने नए चालू फल प्रसंस्करण संयंत्र और जिला मंडी के जरोल, सुंदरनगर में फल प्रसंस्करण संयंत्र से एप्पल वाइन लॉन्च किया जाएगा।

वहीं, एचपीएमसी पराला संयंत्र से अपने रेडी-टू-सर्व सेब का जूस भी लॉन्च करेगा। बैठक में एचपीएमसी की वित्तीय स्थिति से बोर्ड को अवगत करवाया गया। इस वित्तीय वर्ष में एचपीएमसी रिकॉर्ड लाभ प्राप्त करने जा रहा है। इस वर्ष से एचपीएमसी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बाजिव दामों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले ब्राडेड उत्पाद उपलब्ध करवा रहा है।

उन्होंने बताया कि विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना (एचपीएचडीपी) के अंतर्गत सीए स्टोर और ग्रेडिंग पैकिंग लाइनों सहित 13 परिसंपत्तियों का निर्माण पूरा हो चुका है और इन्हें एचपीएमसी के माध्यम से बागवानों की सेवाओं में समर्पित किया गया है। बोर्ड ने एचपीएमसी के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने और राज्य के बागवानों को और भी बेहतर सेवाएं प्रदान करने को कहा गया है।

प्रबंध निदेशक एचपीएमसी सुदेश मोक्टा, विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल, प्रबंध निदेशक एचपी एग्रो इंडस्ट्रीज रीमा कश्यप, एचपीएमसी के महाप्रबंधक सन्नी शर्मा और संयुक्त निदेशक बागवानी हेम चंद शर्मा भी बैठक में उपस्थित रहे।

आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है। इसका उद्देश्य शिक्षा में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देना है। वंचित वर्गों और विशेष समूहों के बच्चे इन आरक्षित सीटों के लिए पात्र होंगे। स्कूल किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इंकार नहीं कर सकते हैं और अधिक आवेदन वाले स्कूलों में प्रवेश लॉटरी के माध्यम से तय किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि स्कूलों को ट्यूशन फीस या सरकारी स्कूलों में प्रति-छात्र व्यय के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है, जो भी कम हो का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।

उन्होंने बताया कि वंचित वर्गों के बच्चों को निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके इसके लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निजी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन करना होगा और 25 प्रतिशत सीटें पात्र बच्चों के लिए आरक्षित कर पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया अपनानी होगी। 25 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में लॉटरी आधारित प्रवेश प्रक्रिया अपनानी होगी।

प्रवक्ता ने बताया कि अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सम्बंधित जिला प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय और निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 के दूरभाष नम्बर 0177-2658044, 2812464 अथवा ईमेल: eleedu-hp@gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या पर्यवेक्षक संगठन के नाम पर सरकार की रिपोर्ट तैयार करेंगे?

सरकार बनने के बाद व्यवहारिक तौर पर संगठन सरकार की ही परफॉरमैन्स जनता के सामने रखता है

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस की पिछले दिनों प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर की सारी इकाइयां भंग कर दी गई थी। अब इसकी जगह नई इकाइयां गठित होनी है। प्रदेश अध्यक्षा अभी इस पुनर्गठन की दिशा में बढ़ने ही लगी थी कि हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने इस पुनर्गठन के लिए कुछ पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिये। संयोगवश यह सब पर्यवेक्षक हिमाचल से बाहर के हैं। यह लोग अपने-अपने क्षेत्र का दौरा करने वहां लोगों से फीडबैक लेने में कितना समय लगाते हैं और कब अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं इस सब को ध्यान में रखते हुये यह तय है कि इस पुनर्गठन में समय लगेगा। संगठन के पुनर्गठन के लिये इस तरह से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पहली बार हिमाचल में देखने को मिल रही है। लेकिन इस कदम के साथ ही कांग्रेस के अन्दर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आयी हैं। कुछ हलकों में इस कदम को प्रदेश अध्यक्षा पर अंकुश लगाने का प्रयास माना जा रहा है। इसी के साथ कुछ हलकों में इसे मंत्रिमण्डल में फेर बदल के संकेतों के रूप में भी देखा जा रहा है। यह तय है कि इन पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट का परिणाम बहुत दूरगामी होगा। इसलिये इस पूरी प्रक्रिया का निष्पक्ष आकलन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है।

प्रदेश संगठन की इकाई प्रदेश अध्यक्षता की सिफारिश पर भंग की गयी है। स्मरणीय है कि प्रदेश अध्यक्षा काफी समय से निष्क्रिय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को हटाने की बात करती रही है। यह भी शिकायतें रही हैं कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सरकार में उचित मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। हाईकमान तक यह शिकायतें पहुंची और एक समन्वय समिति गठित की गयी जो व्यवहार में प्रभावी नहीं हो पायी। विपक्ष लगातार सरकार को गारंटीयों के मुद्दे पर घेरता रहा है। इसी सब का परिणाम हुआ कि प्रदेश के चारों लोकसभा सीटें कांग्रेस हार गयी। राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के छः विधायक पार्टी छोड़कर चले गये। प्रदेश का सह प्रभारी तक पार्टी छोड़ गया था। लेकिन हाईकमान इस सब को समझ नहीं पायी। परन्तु अब जिस तरह से सरकार के कुछ फैसले विवादित हुये और स्पष्टीकरण जारी करने की नौबत आयी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह हिमाचल को चुनावी मुद्दा बनाया। समोसा जांच राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय समाचार बन गया। पहली बार इस तरह की विवादित छवि प्रदेश की देश भर में प्रचारित हुई।

यह एक स्थापित सच है की सरकार बनने के बाद उसकी कार्य प्रणाली और परफॉरमैन्स से ही पार्टी और सरकार का आदमी आकलन करता है। कांग्रेस चुनाव में दस गारंटीयां देकर सत्ता में आयी थी। यह गारंटीयां देते हुये इन पर कोई ''**किन्तु परन्तु**'' नहीं लगाये गये थे। इन गारंटीयों की व्यवहारिक स्थिति क्या है उसको आम आदमी नेताओं के भाषणों से हटकर जानता है। प्रदेश से बाहर नेता क्या बोल रहे हैं और प्रदेश के अन्दर की स्थिति क्या है उसे प्रदेश का आम आदमी बेहतर जानता है। प्रदेश के संगठन और सरकार में कैसे रिश्ते हैं इसकी जानकारी प्रदेश के लोगों को ज्यादा पता है। अभी सरकार दो वर्ष पूरे करने के अवसर पर आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री इस आयोजन का निमंत्रण केंद्रीय नेताओं को दे रहे हैं। लेकिन उन्ही का एक सहयोगी मंत्री यह कहे कि उसे ऐसे प्रस्तावित आयोजन की जानकारी मीडिया से मिल रही है तो फिर सरकार के बारे में ज्यादा कुछ बोलने को नहीं रह जाता है।

अभी जब पर्यवेक्षक संगठन के बारे में फीडबैक लेने के लिये जनता में जाएंगे तब उन्हें सरकार की परफॉरमैन्स की व्यवहारिक जानकारी मिलेगी। यह देखने को मिलेगा की कितनी महिलाओं को पन्द्रह सौ रूपये मिल रहे हैं। कितने युवाओं को व्यवहारिक तौर पर सरकार रोजगार दे पायी है। महंगाई को कितना कम कर पायी है। यह सामने आयेगा कि सरकार ने खर्च कम करने के लिये क्या-क्या किया है। जिन फैसलों के सरकार को स्पष्टीकरण जारी करने पड़े हैं उनका असली सच क्या है। प्रदेश से बाहर के पर्यवेक्षक लगाकर हाईकमान ने संगठन के नाम पर सरकार के बारे में सही जानकारी जुटाने के लिए पर्यवेक्षकों को फीडबैक लेने के लिए भेजा है। क्योंकि कोई भी संगठन केवल सरकार की परफॉरमैन्स का ही सबसे बड़ा सूत्र होता है। ऐसे में हाईकमान ने संगठन के नाम पर सरकार की असली जानकारी जुटाने के लिये प्रदेश से बाहर के पर्यवेक्षक भेजे हैं। इसकी रिपोर्ट के बाद हाईकमान प्रदेश सरकार के बारे में ठीक व्यवहारिक और सटीक जानकारी जुटा पायेगी।

सुक्खू सरकार भ्रष्टाचार, घोटाला

.....पृष्ठ 1 का शेष

भीतर इस राशि का एक हिस्सा भी जमा किया होता, तो आज हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर नहीं होती और हिमाचल भवन की कुर्की की आदेश न जारी हुये होते। यह हिमाचल प्रदेश के हर निवासी के लिये अत्यंत दुःख, कष्ट और शर्म की घड़ी है। सुक्खू सरकार के घोटालों की फेहरिस्त इतनी लंबी हो गई है कि वह राज्य की धरोहरों को भी संभालने में नाकाम रही है जिसके कारण चायल होटल और मनाली के ऐतिहासिक होटल सहित 18 होटलों को बंद करने का आदेश जारी हुआ है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस सरकार अपने चहेतों में इन होटलों का बंदरबांट करना चाहती है। यह शंका जताई जा रही है कि कांग्रेस की सुक्खू सरकार, एचपीटीडीसी के 18 होटलों को अपने दोस्तों को लीज पर देगी। यह सभी इतने प्रीमियम और प्राइम होटल हैं, जिनकी एंट्री टिकट से ही साल की 2 से 3 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। अगर एचपीटीडीसी अपनी इतनी अहम और बड़ी संपत्ति को छोड़ देगी, तो कांग्रेस के वे मित्र, जिन्हें कैबिनेट में स्थान और चेयरमैन पद का सम्मान नहीं दिया जा सका, उन लोगों को यह संपत्ति लीज पर देकर उनको खुश कैसे किया जाएगा।

कांग्रेस की सुक्खू सरकार खुद पर चल रहे मुकद्दमों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए देकर वकील खड़े कर रही है लेकिन राज्य की धरोहरों को सहेजने की ओर से उसने आंखें मूंद ली है। वास्तव में कांग्रेस की नीयत ही हिमाचल प्रदेश के धरोहरों को बचाने की नहीं है बल्कि इसे लूटने की है। कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस परिवार के भ्रष्टाचार का ATM बनाना चाहती है। हिमाचल प्रदेश सरकार की मित्रमंडली, जो हाई कोर्ट में भी कार्यरत है, उनके पास समय नहीं है कि वे हिमाचल प्रदेश के हितों के मामले देखे बल्कि वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रिय मित्र सीपीएस को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

एचपीटीडीसी के सभी 18 होटल हिमाचल प्रदेश की धरोहर हैं और राज्य के ताज हैं। अगर ओक्युपेंसी की बात की जाये तो 40% कम नहीं होती, साथ ही इसके अंदर रेस्तरां और दूसरे इनकम के भी सोर्स होते हैं। तो फिर क्यों हिमाचल प्रदेश के ये 18 धरोहर घाटे में गये? स्पष्ट है कि कांग्रेस की भ्रष्टाचारी और लापरवाह सरकार ने इसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं किया। जो लोग हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान की पर्यटन राजधानी बनाने की बात करते थे और कहते थे कि हिमाचल में पर्यटन अच्छा चल रहा है, बाहर से लाखों लोग घूमने आ रहे हैं तो फिर हिमाचल प्रदेश की ऐसी शर्मनाक स्थिति क्यों हुई? इन जगहों पर काम कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों का क्या होगा? क्या हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने इन धरोहरों को बचाने का कोई मास्टर प्लान तैयार किया-नहीं क्योंकि इनका ध्यान तो भ्रष्टाचार करने में लगा रहता है, कुर्सी बचाने में लगा रहता है।

हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर तरफ लूट, अराजकता और घोटालों की बू आ रही है। कांग्रेस की सुक्खू सरकार की गलत नीतियों का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश को अपने इतिहास के ये दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए जाना जाता था, वह कांग्रेस की झूठी गारंटियों और भ्रष्ट नीतियों के कारण कर्ज में डूब गया है। कांग्रेस सरकार के कुशासन के कारण आज हिमाचल प्रदेश के धरोहरों की भी कुर्की की नौबत आ गई है। कांग्रेस की सुक्खू सरकार को सत्ता में एक मिनट भी रहने का कोई अधिकार नहीं है।